...लय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...पत्र संख्या :–20 / 2025 दायर दिनांकः 25.7.2025

...MS NO:- 2025/223 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

राम रूप गुर्जर आ0 रामनिवास जाति गुर्जर नि0 गुरडिया तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल शर्मा।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मुरडिया प.म. बंसोली तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 112 की भूमि खसरा नम्बर 543 / 75 रकबा 0.8414 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार स्वामी है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी सीधा साधा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। प्रार्थी की भूमि के पास अन्य खातेदारान की भूमि स्थित है जो आये दिन सीमाओं को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है। प्रार्थी ने पडौसी काश्तकारों से विवाद नही बढे इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का दिनांक 06.6.2025 को सीमाज्ञान करवा लिया था तथा पत्थरगढी के लिए तहसीलदार साहब नैनवॉ से निवेदन किया तो उन्होने यह कहकर मना कर दिया कि न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश लाओ तब तुम्हारा काम होगा। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति, शपथ पत्र एवं पूर्व मे हुए सीमाज्ञान मौका पर्चा की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है, की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। चुंकि उक्त प्रार्थना पत्र एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है एवं उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी हो चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मुरडिया प.म. बंसोली तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 112 की भूमि खसरा नम्बर 543 / 75 रकबा 0.8414 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ